

बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
 भारतीय-मालायाली-एंग्लो-भारतीय-बैंक
 बैंक ऑफ बड़ोदा भारत, 12वीं नवंबर, 16, संचार मार्ग, नई दिल्ली-110001
 फोन: 011-23441200/41/43/18 ईमेल: recovery_guardian@bankofbaroda.com

सूचनाएं
 यह सुविधाएं इस सप्ताह पत्र में दिनांक 22.10.2022 को अद्यतन संस्करणों की डिजिटल रूप में 30.04.2022 को होने वाली ई-नियामों के लिए प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में हैं। जिसमें हम आम जनता को सूचित करते हैं कि क्रम सं. 3 पर खाता का नाम सचिन कुमार गुप्ता के स्थान पर डॉ. सचिन कुमार गुप्ता एवं श्रीमती मीरा देवी शर्मा और सचिन कुमार गुप्ता पुत्र की मृत्यु प्रस्ताव गुप्ता एवं श्रीमती मीरा कुमारी एकेए श्रीमती मीरा देवी पत्नी डॉ. सचिन कुमार गुप्ता द्वारा। अन्य सभी विवरण यथावत रहें।
 स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 05-11-2022 बैंक ऑफ बड़ोदा

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
 रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, यूनिफ्लैग गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
सिवायुद्वितीयक अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मंग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं स्वतंत्र मान्यता बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। विविध आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रदान अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के नाम तथा प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदात अधिकारों/सह-अधिकारों/किर्जों आदि के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारों के नाम से सम्बन्धित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित करने के, नोटिस के अनुसार यदि 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करावती है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात अधिकारों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कदम उठाने हेतु तैयार होंगे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूतिकरण आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों के यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कर्जाएँ ऋण प्रतिभूतिकरण के अन्तर्गत मंग सूचना पत्र एवं लागू होने वाली 60 दिनों के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13 (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रतिलिपि प्रदात अधिकारी की पूर्ण लिखित सन्मति के बिना सूचना पत्र में उल्लिखित अपनी किसी भी परिवर्तन आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी प्रकार के अनुभूति नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) परामर्श नियम 3(2) प्राधिकृत अधिकारी (प्रदात) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अथवा बैंक अधिकारी को उक्तके द्वारा उपरोक्त सभी खातों पर जारी अर्थात् केवल प्रतिभूतिकरण द्वारा विक्रय या अन्वयण के विषये भीतरी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी स्थाय प्रस्ताव करके कृपया चरखें।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/बन्धकता/गारंटरका नाम	धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस की दिनांक तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060125003563	18 अक्टूबर 2022	सम्पत्ति स्थित नगर निगम और हास्पिटल पुनरावास होटल फरिदाबाद हरियाणा
सूचना (सह-ऋणी)	R 7335581/-	डोहरफल 460 वर्ग गज
	र. रु. सत्रार लाख पैंतीस हजार पांच सौ रुक्मणी मात्र दिनांक 18 अक्टूबर 2022 तक	

समान - दिल्ली दिनांक: 05-11-2022 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
 भारतीय-मालायाली-एंग्लो-भारतीय-बैंक
 बैंक ऑफ बड़ोदा भारत, 12वीं नवंबर, 16, संचार मार्ग, नई दिल्ली-110001
 फोन: 011-23441200/41/43/18 ईमेल: recovery_guardian@bankofbaroda.com

सं.22/21 जनकपुर, बक ऑफ बड़ोदा, जनकपुरा पार्क, पारसना दिल्ली क्षेत्र कार्यालय-81 125633900/25693313, फैक्स-81 125697500 ईमेल: DCJANA@bankofbaroda.com

कब्जा नोटिस (अवल संपत्ति के लिए) (नियम 8(1) देखें)
 नूक, अधोहस्ताक्षर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम, 2002(2002 का 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ोदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदात अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.05.2022 को एक मंग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार श्री विश्व सिंह भारती (पुत्र श्री रवि भारती पलेट नंबर-106, टाइट सी, सेक्टर 19बी संस्कृति अपार्टमेंट, हाइका सेक्टर 19 दिल्ली 110075) एवं गारंटर श्रीमती मीनाकाशी (पत्नी विश्व सिंह भारती पलेट नंबर 105, संस्कृति अपार्टमेंट सेक्टर-19 बी, हाइका, नई दिल्ली-110075) और श्री अंकित सिंह, एच नंबर 289-सी, पॉकेट- जम्मू और कश्मीर, रेड क्रॉस अस्पताल के पास, दिलशाह गार्डन, शाहदरा, नई दिल्ली-110095) को नोटिस में उल्लिखित राशि 18.05.2022 के अनुसार रु. 40,53,540 (रुपये चालीस लाख तिरपन हजार पांच सौ चालीस मात्र) एवं बन्धक की ब्याज लागत और ब्याज का पुनर्निर्माण कर्तव्य मंग सूचना प्रदान करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।
 कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असमर्थ रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठे जाने वाले कर्तव्य अधिनियम के अनुच्छेद 3(4) के उप-अनुच्छेद (4) के अंतर्गत उसे प्रदात अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को 31.10.2022 को अपने कब्जे में ले लिया है।
 कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन बैंक ऑफ बड़ोदा को 31-10-2022 की तिथि के अनुसार रु. 41,68,986.08 (इकतालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ टिघारसी रुपये और आठ पैसे मात्र) एवं 01.11.2022 से प्रभावी बननेवाले शुल्क साथ में एनपीए से सूची की उक्त पर ब्याज, लागत और ब्याज राशि के प्रभार के अधीन होगा।
 कर्जदार का ध्यान प्रतिभूतिकरण संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
 संपत्ति का विवरण
अवल संपत्ति का ब्याजसंगत बंधक - मानसरोवर पार्क की आवादी , जी टी रोड, ग्राम चंद्रमौली गांव इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 के क्षेत्र में स्थित छत और छज्जा के अधिकारों के बिना पूरी दूसरी मंजिल, 83.61 वर्ग मीटर (100 वर्ग गज) का क्षेत्रफल, संपत्ति संख्या /1702 (बी-36) का हिस्सा, खसरा संख्या -314 मि. 315 मिट और 334 मिट का हिस्सा सामान्य सार्वजनिक प्रवेश द्वार, जमीन के तल से ऊपर की मंजिल तक सीढ़ियों का मार्ग, पानी की टंकी आदि के रखरखाव के लिए छत / शीश मंजिल पर जाने के सामान्य अधिकारों के साथ-साथ संपत्ति के तहत भूमि के 1/4 वें अधिभाजित अनुपातिक स्वामित्व का अधिकार।
चौधियाँ - पूर्व-15 फीट चौड़ी गली , परिधम- मुख्य रास्ता 30 फीट चौड़ा उत्तर- संपत्ति संख्या बी-45 , दक्षिण- उक्त संपत्ति का शेष भाग।

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड
PNB Housing Finance Limited
 भारतीय-मालायाली-एंग्लो-भारतीय-बैंक
 बैंक ऑफ बड़ोदा भारत, 12वीं नवंबर, 16, संचार मार्ग, नई दिल्ली-110001
 फोन: 011-23357171, 23357172, 237505414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

धारा पता: सुधी, एसावी बीट पॉवर, भूखंड-10, जे.एच.3, वल्लुधर, गण्डियाबाद (उ.प्र.)-201011, दूरभाष सं.: 120-2699117, ईमेल: ghaziabad@pnbhousing.com

अधिश्रमण सूचना (अवल संपत्ति हेतु)

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। विविध आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के नाम तथा प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदात अधिकारों/सह-अधिकारों/किर्जों आदि के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारों के नाम से सम्बन्धित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित करने के, नोटिस के अनुसार यदि 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करावती है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात अधिकारों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कदम उठाने हेतु तैयार होंगे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूतिकरण आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों के यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कर्जाएँ ऋण प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मंग सूचना पत्र एवं लागू होने वाली 60 दिनों के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13 (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रतिलिपि प्रदात अधिकारी की पूर्ण लिखित सन्मति के बिना सूचना पत्र में उल्लिखित अपनी किसी भी परिवर्तन आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी प्रकार के अनुभूति नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) परामर्श नियम 3(2) प्राधिकृत अधिकारी (प्रदात) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अथवा बैंक अधिकारी को उक्तके द्वारा उपरोक्त सभी खातों पर जारी अर्थात् केवल प्रतिभूतिकरण द्वारा विक्रय या अन्वयण के विषये भीतरी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी स्थाय प्रस्ताव करके कृपया चरखें।

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	धारकर्ता / सह-धारकर्ता / गारंटर का नाम	मंग सूचना की तिथि	बन्धक वस्तु	अधिनियम तिथि जमा की तिथि	बन्धकसूची संख्या का विवरण
1.	HOU/MEE/01191637123 एवं NHAL/EC/0220/7836/3 शा.का: सेक्टर	श्री अजय (अधिकाारी) और श्रीमती अरुणा (सह-ऋणकर्ता)	03.06.2022	रु. 58,83,984.54/- (रुपये अठ्ठावन लाख तिरिती हजार बी सौ बीसठ पैंतस मात्र) 20.05.2022 के अनुसार	01.11.2022 (संकेतिक)	संपत्ति सं. के समेत यह नाम तथा अंश जो आसानी भूखंड सं. 146 ए/9 के उत्तरी भाग पर सेक्टर-6, शाही नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-205001 में स्थित है।
2.	HOU/MEE/1217445608 शा.का: सेक्टर	श्री अजय कुमार (अधिकाारी) तथा श्रीमती शीतल (सह-ऋणकर्ता)	17.11.2021	रु. 22,53,485.76/- (रुपये बीस लाख तिरिती हजार पांच सौ टिघारसी एवं पैंतस मात्र) 17.11.2021 के अनुसार	01.11.2022 (संकेतिक)	संपत्ति सं. के समेत रु. 687/- के समेत यह नाम तथा अंश जो सेक्टर सं. 342 का भाग मोहनलाल नृज बिहार प्रस्ताव परामर्श तहसील एवं जयपुर मेरठ, उत्तर प्रदेश-29002 में स्थित है।
3.	HOU/GH/0818751510 शा.का: गाजियाबाद	श्री विवेक विवेक (अधिकाारी) तथा श्रीमती रमन कुमारी (सह-ऋणकर्ता)	17.12.2021	रु. 24,28,591.00/- (रुपये चौबीस लाख अठ्ठाईस हजार पांच सौ इक्कावन एवं बीस पैसे मात्र) 17.12.2021 के अनुसार	03.11.2022 (संकेतिक)	संपत्ति सं. प्लेट सं. 97-बी के समेत यह नाम तथा अंश जो भूखंड, पॉकेट-बी-2, टाटा-3 मंगूर विहार-111, कोबली, पड़ौली, दिल्ली-110098 में स्थित है।

समान : मेरठ, गाजियाबाद दिनांक: 05.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड

पंजाब नेशनल बैंक
Punjab National Bank
 भारतीय-मालायाली-एंग्लो-भारतीय-बैंक
 बैंक ऑफ बड़ोदा भारत, 12वीं नवंबर, 16, संचार मार्ग, नई दिल्ली-110001
 फोन: 011-23357171, 23357172, 237505414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

महदल शहर, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद, ई-मेल: CS8228@pnb.co.in

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान एक्ट 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदात अधिकारों/सह-अधिकारों/किर्जों आदि के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारों के नाम से सम्बन्धित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित करने के, नोटिस के अनुसार यदि 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करावती है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात अधिकारों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कदम उठाने हेतु तैयार होंगे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूतिकरण आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों के यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कर्जाएँ ऋण प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मंग सूचना पत्र एवं लागू होने वाली 60 दिनों के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13 (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रतिलिपि प्रदात अधिकारी की पूर्ण लिखित सन्मति के बिना सूचना पत्र में उल्लिखित अपनी किसी भी परिवर्तन आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी प्रकार के अनुभूति नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) परामर्श नियम 3(2) प्राधिकृत अधिकारी (प्रदात) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अथवा बैंक अधिकारी को उक्तके द्वारा उपरोक्त सभी खातों पर जारी अर्थात् केवल प्रतिभूतिकरण द्वारा विक्रय या अन्वयण के विषये भीतरी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी स्थाय प्रस्ताव करके कृपया चरखें।

क्र.सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मंग सूचना की तिथि	बन्धक वस्तु का विवरण
1	(शाहा कौली) शा.का कोड 300000 श्री दीपक जुनारकर और श्रीमती रीना दीपक गुजराकर और गारंटर श्री प्रकाश विषय जुनारकर	सांख्यिक बंधक रिहायशी प्लेट नं. जी-3, मूलतः फ्री होल्डर रिहायशी प्लॉट नं. 6/174, सेक्टर-6, बिहाली, गाजियाबाद, यूपी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री दीपक विषय जुनारकर और श्रीमती रीना दीपक जुनारकर के नाम पर सब जिला सह रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद में पंजीकृत कर्जद होकरफल 37.15 वर्ग मी. चौड़ाई: पुरुब में - प्लॉट नं. 173, पश्चिम में - प्लॉट नं. 175, उत्तर में - प्लॉट नं. 171, दक्षिण में - 45 फीट चौड़ा रोड।	29-05-2021	रु. 22,06,271.70 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित
2	(शाहा जी.टी रोड) शा.का कोड 018000 श्री फजल रहमान पुत्र श्री श्रीमोहम्मद यामीन और श्री शाबाज रहमान पुत्र श्री फजल रहमान	सांख्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी मकान नं. 15/758, सेक्टर-15, वसुधारा, गाजियाबाद, यूपी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री फजल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद यामीन और श्री शाबाज रहमान पुत्र श्री फजल रहमान के नाम पर है। क्षेत्रफल 58.36 वर्ग मी. चौड़ाई पुरुब में - 7.5 मी. चौड़ा रोड, पश्चिम में - मकान नं. 15/755, उत्तर में - मकान नं. 15/757, दक्षिण में - मकान नं. 15/759	22-04-2021	रु. 48,44,226.82 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित
3	(शाहा साहिबाबाद) शा.का कोड 370900 मेसर्स ब्रदर भेडिकल स्टोर एंड कॉमिटेक सेंटर (प्रोपराइटर श्री संजीव कुमार शिकार पुत्र श्री उदय सिंह चौधरी)	सांख्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं. 6, शाहपुरा फुट जिंसाका क्षेत्रफल 18.26 वर्ग मी. जोकि फ्री होल्डर शीशी प्लॉट नं. 3/41, सेक्टर-5, टी.एच.ए.ए. (राज पैलेस) में स्थित आसफ़ कौलीनी, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, तहसील ब.ब.जिला गाजियाबाद (यूपी) चौड़ाई: पुरुब में - 6 फुट पैसेज, पश्चिम में - दोवार, उत्तर में - जीना, दक्षिण में - दुकान नं. 5	28-01-2022	रु. 28,69,786.92 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित
4	(शाहा जी.टी रोड) शा.का कोड 018000 श्री फजल रहमान पुत्र श्री श्रीमोहम्मद यामीन और श्री शाबाज रहमान पुत्र श्री फजल रहमान	सांख्यिक बंधक रिहायशी प्लेट नं. जी-3, मूलतः, फ्री होल्डर रिहायशी मकान नं. 15/758, सेक्टर-15, वसुधारा, गाजियाबाद, यूपी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री फजल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद यामीन और श्री शाबाज रहमान पुत्र श्री फजल रहमान के नाम पर है। क्षेत्रफल 58.36 वर्ग मी. चौड़ाई पुरुब में - 7.5 मी. चौड़ा रोड, पश्चिम में - मकान नं. 15/755, उत्तर में - मकान नं. 15/757, दक्षिण में - मकान नं. 15/759	12-11-2021	रु. 33,05,334.00 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित
5	(शाहा गोविंदपुरी) मोदीनगर, शा.का कोड 601100 (1) मेसर्स ताना बना (प्रोपराइटर श्री रविशंकर पालीवाल पुत्र श्री हरि शंकर पालीवाल (2) श्री रविशंकर पालीवाल पुत्र श्री हरि शंकर पालीवाल (मेसर्स ताना बना में प्रोपराइटर), और गारंटर: श्रीमती सतोष पालीवाल पत्नी श्री रविशंकर पालीवाल	सांख्यिक बंधक खसरा नं. 874, गांव रोड़ी मोहल्ला कुम्भापुरी, लाईन पर गोविंदपुरी, मोदी नगर, परमाणु जलालाबाद, जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित (क्षेत्रफल 209.02 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री रवि शंकर पालीवाल पुत्र श्री हरि शंकर पालीवाल के नाम पर एक्सहाउस मोदी नगर, गाजियाबाद में पंजीकृत चौड़ाई: पुरुब में - देवेव भूमि, पश्चिम में - आम रास्ता, उत्तर में - राम स्वयं की भूमि, दक्षिण में - सरोजवाला खरीदार इमरेश ज का प्लॉट	02-11-2022	रु. 27,93,545.86 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित
6	शाहा कार्यालय करहेड़ा शा.का कोड (022710) गाजियाबाद, उ.प्र. उच्चारकर्ताओं श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री राम अज्ञा यादव और (सह-धारकर्ता) श्रीमती सनीता यादव पत्नी श्री अशोक कुमार यादव	श्री होल्डर रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लेट नं. 5/613 (एफ-1), प्रथम तल, एमआईटी रोड, सामने की तरफ (दिना उक्त के अधिकार) प्लॉट नं. 5/613 पर निर्मित, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद में स्थित, जिसका सुपर क्षेत्रफल 750 वर्ग मी. अर्थात् 69.676 वर्ग मी. और कर्जद क्षेत्रफल 700 वर्ग मी. अर्थात् 65.033 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम अज्ञा यादव के नाम पर है। चौड़ाई: उत्तर में - प्लॉट नं. 614, दक्षिण में - प्लॉट नं. 612, पुरुब में - 106 चौड़ा रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. 560	12-11-2021	रु. 27,93,545.86 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित
7	उच्चारकर्ताओं श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री राम अज्ञा यादव और (सह-धारकर्ता) श्रीमती सनीता यादव पत्नी श्री अशोक कुमार यादव	श्री होल्डर रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लेट नं. 5/613 (एफ-1), प्रथम तल, एमआईटी रोड, सामने की तरफ (दिना उक्त के अधिकार) प्लॉट नं. 5/613 पर निर्मित, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद में स्थित, जिसका सुपर क्षेत्रफल 750 वर्ग मी. अर्थात् 69.676 वर्ग मी. और कर्जद क्षेत्रफल 700 वर्ग मी. अर्थात् 65.033 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम अज्ञा यादव के नाम पर है। चौड़ाई: उत्तर में - प्लॉट नं. 614, दक्षिण में - प्लॉट नं. 612, पुरुब में - 106 चौड़ा रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. 560	04-11-2022	रु. 27,93,545.86 और बन्धक का ब्याज, एवं प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक 04-11-2022, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

SBI
 भारतीय स्टेट बैंक नवगठित आरित्त किरवी शाखा-1
 प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-25419177, 25412977, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)
 जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के नाम तथा प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदात अधिकारों/सह-अधिकारों/किर्जों आदि के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारों के नाम से सम्बन्धित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित करने के, नोटिस के अनुसार यदि 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करावती है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात अधिकारों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कदम उठाने हेतु तैयार होंगे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूतिकरण आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों के यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कर्जाएँ ऋण प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मंग सूचना पत्र एवं लागू होने वाली 60 दिनों के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13 (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रतिलिपि प्रदात अधिकारी की पूर्ण लिखित सन्मति के बिना सूचना पत्र में उल्लिखित अपनी किसी भी परिवर्तन आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी प्रकार के अनुभूति नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) परामर्श नियम 3(2) प्राधिकृत अधिकारी (प्रदात) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अथवा बैंक अधिकारी को उक्तके द्वारा उपरोक्त सभी खातों पर जारी अर्थात् केवल प्रतिभूतिकरण द्वारा विक्रय या अन्वयण के विषये भीतरी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी स्थाय प्रस्ताव करके कृपया चरखें।

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)
 जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के नाम तथा प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदात अधिकारों/सह-अधिकारों/किर्जों आदि के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारों के नाम से सम्बन्धित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित करने के, नोटिस के अनुसार यदि 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करावती है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात अधिकारों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कदम उठाने हेतु तैयार होंगे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूतिकरण आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों के यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कर्जाएँ ऋण प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मंग सूचना पत्र एवं लागू होने वाली 60 दिनों के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13 (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रतिलिपि प्रदात अधिकारी की पूर्ण लिखित सन्मति के बिना सूचना पत्र में उल्लिखित अपनी किसी भी परिवर्तन आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी प्रकार के अनुभूति नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) परामर्श नियम 3(2) प्राधिकृत अधिकारी (प्रदात) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अथवा बैंक अधिकारी को उक्तके द्वारा उपरोक्त सभी खातों पर जारी अर्थात् केवल प्रतिभूतिकरण द्वारा विक्रय या अन्वयण के विषये भीतरी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी स्थाय प्रस्ताव करके कृपया चरखें।

सांख्यिक उद्योगपणा [भारत दियाला तथा दियाला मंडल (कांफॉरेट व्यक्तियों के लिए दियाला प्रस्ताव क्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] पृथकी कोल प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटों के ध्यानार्थ

क्र.सं.	कांफॉरेट ऋणकर्ता का नाम	पृथकी कोल प्राइवेट लिमिटेड
1.	कांफॉरेट ऋणकर्ता के नियम की तिथि	07.02.2006
2.	यह प्राधिकरण विरुद्ध अंतर्गत कांफॉरेट ऋणकर्ता निर्माण/पंजीकृत है।	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
3.	कांफॉरेट प्रदान संख्या/कांफॉरेट ऋणकर्ता का लिमिटेड लायबिलिटी नंबर	U13100DL2000PTC145988
4.	कांफॉरेट ऋणकर्ता के पंजीकृत कार्यालय तथा पता	102, 1 ला. तल, अन्वयण टावर एक्सप्रेस सिटी विहार, दिल्ली दिल्ली पूर्व दिल्ली इलाका-110092 अरुण
5.	कांफॉरेट ऋणकर्ता के संबंध में दिवाल्य आदेश देने की तिथि	04.11.2022 आदेश प्रदान की तिथि: 04.11.2022
6.	दिवाल्य प्रदान प्रक्रिया के समान प्रदान प्रदान	03.05.2023
7.	अधिनियम अधिनियम का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
8.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
9.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
10.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
11.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
12.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
13.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।
14.	अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।	नियम सं. IBBI/PA-002/PI-N00541/2017-2018/11618 कायम है।

अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।
 अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।
 अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान प्रदान के रूप में कायम है।
 अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पंजीकृत संख्या, जो अधिनियम प्रदान